“

”

अनुसन्धान मुख्यांश

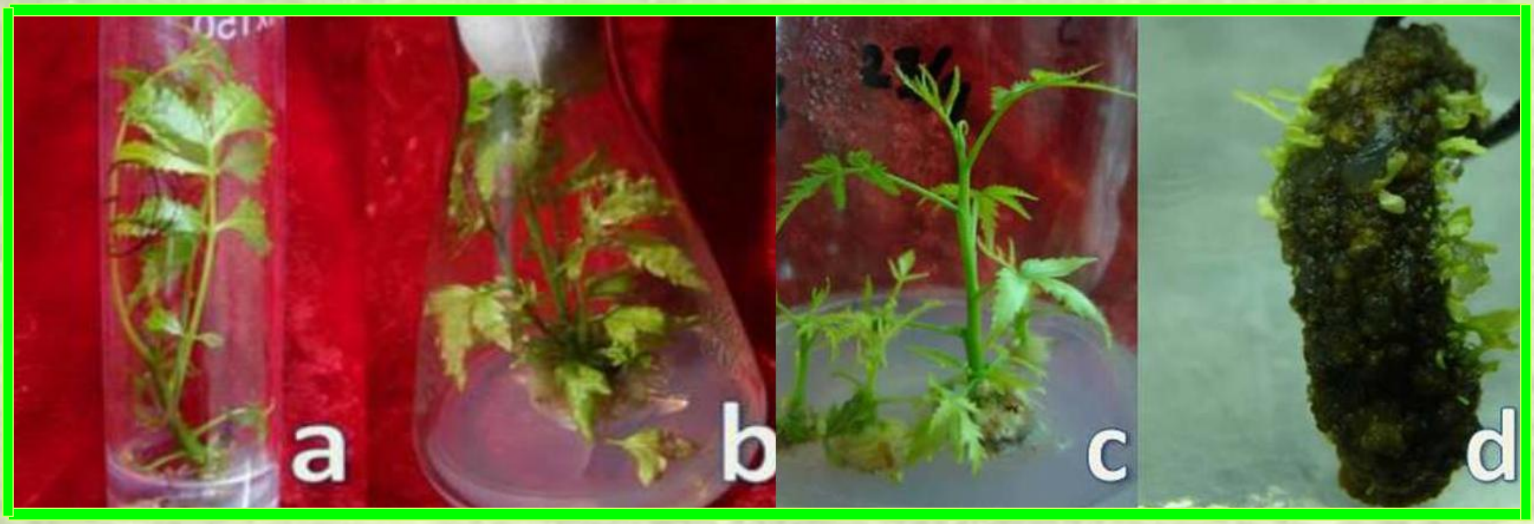

प्रस्तावना

भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् मुख्यालय में अनुसन्धान निदेशालय परिषद् के सभी आठ संस्थानों और चार केन्द्रों में वानिकी अनुसन्धान की योजना, समन्वयन और मानीटरन तथा विभिन्न अनुसन्धान परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करता है। परिषद् जैवविविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्रभाग के माध्यम से विभिन्न मंचों पर अन्तर्राष्ट्रीय सोपानक में जैवविविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन में समस्याओं का समाधान करती है और इस क्षेत्र में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है।

जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग (बी.सी.सी.) वन अधिकारियों तथा पणधारियों के लिए जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ विकास प्रक्रिया (सी.डी.एम.) और वानिकी पर विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करके क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से जुटा है। प्रभाग वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन संबन्धित नीति विषयों पर कार्य कर रहा है जिससे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रुप रेखा समझौता (यूएनएफसीसीसी) के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय समझौते हुए है। जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को ''जलवायु परिवर्तन पर वानिकी उप समूह'' पर तकनीकी निवेश उपलब्ध करा रहा है और यूएनएफसीसीसी में देश के प्रस्तुतिकरण के विकास की दिशा में सहयोग कर रहा है। जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन (बीसीसी) प्रभाग, भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् ने जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई लघु तथा दीर्घ–अवधि नीति कार्यक्रमों की भी शुरूआत की है।

भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् स्वच्छ विकास तंत्र के लिए भारत से पहली नामित परिचालन इकाई के रूप में यूएनएफसीसीसी द्वारा प्रत्यायित हुई है

यूएनएफसीसीसी से सी.डी.एम आकलन दल (सीडीएम–एटी) ने स्वच्छ विकास तंत्र परियोजनाओं के लिए नामित परिचालन इकाई के रूप में प्रत्यायन करने के लिए भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् का "आन साइट" आकलन करने के लिए 30 अप्रैल से 1 मई 2010 को भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् का दौरा किया।

सीडीएम आकलन दल (सीडीएम–एटी)

सीडीएम–एटी द्वारा सफल आकलन तथा अनुशंसा के द्वारा भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद पहली भारतीय नामित परिचालन इकाइ (डीआइ)बन गई । भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् को संयुक्त राष्ट्र रूप रेखा अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) के स्वच्छ विकास तंत्र के अधिशासी मंडल द्वारा 14 से 18 फरवरी 2010 को बॉन, जर्मनी में इसकी 59वीं बैठक में विषय क्षेत्र वनीकरण एवं पुर्नवनीकरण के लिए मान्यीकरण तथा सत्यापन/प्रमाणीकरण कार्यों के लिए नामित परिचालन इकाई के रूप में प्रत्यापित किया गया।

जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग ने जैवकीय विविधता समझौता (सीबीडी) द्वारा दिए गए "जैवविविधता, विकास तथा गरीबी उन्मूलन" विषय के तहत 22 मई 2010 को जैव विविधता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के उत्सव पर परिषद् की एक रिपोर्ट को संकलित कर तैयार किया और सीबीडी सचिवालय, मोन्ट्रियल, कनाडा भेजने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया।

जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग ने जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित दो बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ ली हैः

i. भारत में वन और वन उत्पादों की तुलना में जलवायु परिवर्तन चिंताओं के समाधान के लिए अनुसन्धान आवश्यकताएँ और वित्तीय प्रौद्योगिकीय एवं क्षमता आवश्यकताएँ तथा दबावः

यह परियोजना विनरॉक इंटरनेशनल इंडिया के माध्यम से, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिषद् को उपसंविदा पर दी गई थी। परियोजना पूर्ण हो चुकी है तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर दाता एजेंसी को प्रस्तुत कर दिया गया है।

ii. भारत में आवर्त सहचारता और सीडीएम क्षमता अध्ययनों का उपयोग करके वन कार्बन विनिमय का मापः

यह परियोजना डीपार्टमेंट आफ फॉरेस्ट साइस एण्ड रीसारसंज (डीआइएसएएफआरआइ) यूनिवर्सिटी आफ तूसिका (इटली) भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् और उत्तराखण्ड वन विभाग के बीच एक सांझेदारी अध्ययन है। इस परियोजना के अधीन भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् के जैविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग ने वन अनुसन्धान सम–विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा राज्य वन विभाग के लिए जलवायु परिवर्तन तथा सीडीएम पहलुओं पर पाठयक्रम तैयार किया है तथा सीडीएम ए/आर परियोजना के विषय में एफएक्यू तैयारी अधीन है।

अनुसन्धान योजना प्रभाग, अनुसन्धान निदेशालय परिषद् के योजना निधीयित वानिकी परियोजनाओं की आयोजना, सूत्रीकरण और अन्तिम रुप देने का काम करता है। यह आधारित, पारदर्शी और सहभागी एप्रोच अपनाकर पणधारियों की बैठक, प्रत्येक संस्थान में अनुसन्धान सलाहकार समूह बैठकों और परिषद् मुख्यालय में राष्ट्रीय स्तर पर अनुसन्धान नीति समिति की बैठकों का समन्वयन करता है। यह पांच वर्षीय रोलिंग प्लान के तहत जारी परियोजनाओं का पुनरीक्षण भी करता है।

वर्ष 2010–11 के दौरान इस प्रभाग द्वारा निम्न उपलब्धियाँ हासिल की गई :

पणधारियों की बैठकः अनुसन्धान सूचना के अर्थपूर्ण तथा नियमित आदान पदान तथा परियोजना कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक राज्य वन विभाग मुख्यालय में निम्नलिखित पणधारियों की बैठक के लिए संस्थानों के साथ समन्वयन किया गया।

क्रम संख्या	संस्थान के नाम	आयोजित पणधारियों की बैठकों का विवरण	
		स्थान	तिथि
1.	काष्ठ विज्ञान एव प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर	कर्नाटक	28 मइ 2010
		गोवा	04 जून 2010
		आन्ध्र प्रदेश	19 मइ 2010
2.	वर्षा वन अनुसन्धान संस्थान, जोरहाट	असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय तथा सिक्किम	31 मइ 2010
		मिजोरम	03 जून 2010
		त्रिपुरा	07 जून 2010
		नागलैंड तथा मणिपुर	29 जून 2010
3.	वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	तमिलनाडू	28 अप्रैल 2010
		केरल	19 मइ 2010
		अण्डमान और निकोबर	31 मइ 2010
4.	शुष्क वन अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर	गुजरात	19 जुलाई 2010
		राजस्थान	09 जून 2010
5.	हिमालयन वन अनुसन्धान संस्थान, शिमला	हिमाचल प्रदेश	
		जम्मू और कश्मीर	01 जुलाई 2010
6.	वन उत्पादकता संस्थान, रांची	झारखण्ड	25 मई 2010
		बिहार	15 जून 2010
		पश्चिम बंगाल	23 अगस्त 2010
7.	उष्णकटिबंधीय वन अनुसन्धान संस्थान, जबलपुर	मध्य प्रदेश	05 अप्रैल 2010
		छतीसगढ	23 अप्रैल 2010
		महाराष्ट्र	13 मइ 2010
		उड़ीसा	24 मइ 2010
8.	वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून	उत्तराखण्ड	03 मइ 2010
		हरियाणा	18 मइ 2010
		चंडिगढ	15 जून 2010
		उत्तर प्रदेश	21 मइ 2010
		दिल्ली	
		पंजाब	15 जून 2010

निम्नवर्णित तिथियों पर संस्थान स्तर पर भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् संस्थानों में से प्रत्येक की **अनुसन्धान सलाहकार समूह** की बैठकें (आरएजी) आयोजित की गई।

वन आनुवंशिकी एव वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	12 और 13 अक्टूबर 2010
शुष्क वन अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर	28 और 29 अक्टूबर 2010
हिमालयन वन अनुसन्धान संस्थान, शिमला	1 और 2 नवम्बर 2010
वन उत्पादकता संस्थान, रांची	8 और 9 नवम्बर 2010
वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून	11 और 12 नवम्बर 2010
काष्ठ विज्ञान एव प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर	18 और 19 नवम्बर 2010
उष्णकटिबंधीय वन अनुसन्धान संस्थान, जबलपुर	24 और 25 नवम्बर 2010
वषा वन अनुसन्धान संस्थान, जोरहाट	25 और 26 नवम्बर 2010

अनुसन्धान सलाहकार समहा की अध्यक्षता सम्बधित सस्थाना क कायक्षेत्र म आन वाल राज्या क पधान मख्य वन सरक्षका द्वारा की गइ। इसम विभिन्न स्तर कवज्ञानिक, वन अधिकारिया, विभिन्न पणाधिकारिया यथा– गर सरकारी सगठन, उद्याग, पगतिशील किसाना आर विश्वविद्यालया न भाग लिया। पस्तावा का दा विषय वस्तुविशषज्ञा/ रफरी द्वारा भी मल्याकित किया गया। तदनुसार परियाजना का अनुसन्धान सलाहकार समह की अनुसशाआ का ध्यान म रखत हुए, परिष्कृत किया गया तथा आरपीसी क समक्ष रखा गया।

अनुसन्धान योजना समिति बैठक (आरपीसी)

अनुसन्धान याजना समिति भारतीय वानिकी अनुसन्धान एव शिक्षा परिषद म एक स्वायत्त समिति ह, जाकि सस्थान की आरएजी द्वारा अनुशसित भारतीय वानिकी अनुसन्धान एव शिक्षा परिषद क आठ अनुसन्धान सस्थाना तथा चार कन्दा की भारतीय वानिकी अनुसन्धान एव शिक्षा परिषद द्वारा निधीयित परियाजनाआ का पाथमिकता दती ह तथा अन्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षत्रीय तथा राज्य अनुसन्धान आवश्यकता क सतुलन का सुनिश्चित करती ह तथा उच्च गुणवत्ता वानिकी अनुसन्धान म निवश का निणय लती ह।

भारतीय वानिकी अनुसन्धान एव शिक्षा परिषद क अनुसन्धान का विस्तृत रूप स सात पमुखता वाल क्षत्रा तथा बत्तीस विषया म श्रणीबद्ध किया गया ह। सभी नयी परियाजनाआ का तदनुसार श्रणीबद्ध किया गया ह जसा कि नीच दिखाया गया ह।

क्रम संख्या	प्रमुखता क्षेत्र	विषय
1.	वन उत्पादकता	1. वन उत्पादकता का सुधार 2. सामाजिक वानिकी, कृषि/फाम वानिकी 3. वानस्पतिक प्रवर्धन 4. पौधशाला तकनीके/बीज प्रौद्योगिकी
2.	पारितंत्र अनुसन्धान	1. खरपतवार तथा आक्रामक प्रजातिया पर नियंत्रण 2. महत्पूण प्रजातिया का प्राकृतिक पुर्नजनन 3. आग प्रबन्धन, वन रोपण तथा वन कटान क्रियाकलाप समुदाय आधारित उपागम 4. संकटग्रस्त प्रजातिया की सुरक्षा 5. कृषि स्थानांतरण 6. दलदली भूमि तथा मनग्रोव वन 7. समेकित नवीकृत जैवऊजा सहित मृदा तथा जल संरक्षण 8. परिरक्षित भूखण्ड 9. देशज ज्ञान प्रणाली 10. पादप विविधता नेटवक 11. बायोरिमीडेशन तथा प्रदूषण नियंत्रण 12. विकत भूमिया का पारिपुनरूदार 13. पर्यावरण प्रभाव आकलन/विकास
3.	आनुवंशिक सुधार	1. उतक संवर्धन 2. वन आनुवंशिक संसाधना का संरक्षण 3. वृक्ष सुधार
4.	वन प्रबन्धन एव रक्षण	1. जल संभ्ररण प्रबन्धन 2. सहभागिता/संयुक्त वन प्रबन्धन 3. कीटा तथा रोगा का नियंत्रण
5.	जलवायु परिवर्तन	1. कार्बन अधिग्रहण, शमन तथा अगीकरण 2. कार्बन पूल आकलन
6.	वन काष्ठ उत्पाद	1. काष्ठ/रोपण प्रजाति उपयोगिता 2. प्रकाष्ठ सांख्यिकी, बाँस
7.	अकाष्ठ वन उत्पाद	1. जैव ईंधन, अकाष्ठ वन उत्पादा का इन सीटू/एक्स सीट संरक्षण 2. औषधीय पादप 3. अकाष्ठ वन उत्पादा की उपयोगिता

हालांकि ये प्रमुखता वाले क्षेत्र अग्रेत्तर सुधार के लिए 32 विषयों के साथ निम्नलिखित चार प्रमुखता वाले क्षेत्र विचार प्रक्रिया अधीन है।

- आजीविका सहायता के लिए वनों तथा वन उत्पादों का प्रबन्धन करना
- जैवविविधता संरक्षण तथा पारिस्थितिकीय सुरक्षा
- जलवायु परिवर्तन निम्नीकरण तथा अनुकूलन के लिए वानिकी हस्तक्षेप
- वन आनुवंशिक संसाधनों का प्रबन्धन तथा सुधार

निदेशकों की बैठकः महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून की अध्यक्षता में 26 अक्टूबर 2010 को परिषद् मुख्यालय के प्रमण्डल कक्ष में निदेशकों की पाँचवीं बैठक का आयोजन किया गया। निदेशकों की बैठक का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया, जिसके लिए कार्य सूची को अंतिम रूप संस्थानों के निदेशकों के साथ परामर्श करके विभिन्न निदेशालयों द्वारा दिया गया।

बाँस तकनीकी सहायता समूह (बीटीएसजी)– भा.वा.अ.शि.प.

ग्यारह राज्यों यथा– जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा गुजरात की अनुसन्धान तथा प्राद्योगिकी आधारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय बाँस मिशन, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बाँस तकनीकी सहायता समूह (बीटीएसजी) का गठन किया गया, ताकि राष्ट्रीय बाँस मिशन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सरल बनाया जा सके। बीटीएसजी– भा.वा.अ.शि.प. जुलाई 2007 में अस्तित्व में आया। किसानों तथा क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने सहित, बाँस साहित्य का प्रकाशन; इलैक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा प्रचार अभियान करना, सेमीनार आयोजित करना बीटीएसजी के क्रियाकलाप है।

किसानों तथा क्षेत्र कार्यकताओं के लिए पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम–प्रधान प्रमुख वन सरक्षकों तथा सम्बन्धित राज्यों के राज्य मिशन निदेशक अपने सम्बन्धित राज्यों से किसानों तथा क्षेत्र कार्यकताओं को निम्नलिखित भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों/केन्द्र से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नामांकित करते हैः

- वन अनुसन्धान संस्थान (व.अ.सं.), देहरादून
- उष्णकटिबंधीय वन अनुसन्धान संस्थान (उ.व.अ.सं.), जबलपुर
- शुष्क वन अनुसन्धान संस्थान (शु.व.अ.सं.), जोधपुर
- हिमालयन वन अनुसन्धान संस्थान (हि.व.अ.सं.), शिमला
- वन उत्पादकता संस्थान (व.उ.सं.) रांची सामाजिक वानिकी तथा पारि–पुर्नस्थापना केन्द्र (सा.वा.प.के.), इलाहाबाद

किसानों तथा क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमः

2010–11 के दौरान बीटीएसजी–भा.वा.अ.शि.प. देहरादून ने पंजाब के किसानों तथा क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए 7 से 11 फरवरी 2011 तक पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इलैक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा प्रचार

वर्ष के दौरान **इंडियन फॉरेस्टर** की बैक जैकेट (पिछले पृष्ठ) पर बीटीएसजी–भा.वा.अ.शि.प., देहरादून का राष्ट्रीय बाँस मिशन के उद्देश्यों तथा रणनितियों को उजागर करता हुआ एक पूर्ण पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

बाँस साहित्य

राष्ट्रीय बाँस मिशन के अधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सहभागियों में निःशुल्क वितरण के लिए **बीटीएसजी– भा.वा.अ.शि.प., देहरादून द्वारा प्रकाशित "बाँस रोपण एवं उपयोगिता"** विषय हिन्दी पुस्तक की 60 प्रतियाँ तथा हिन्दी पोस्टर **"बाँस आजीविका का एक साधन"** की 100 प्रतियाँ विभिन्न सम्बन्धित भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून के संस्थानों तथा राज्य बाँस मिशनों को उपलब्ध करवाई गई।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रभाग परिषद् संस्थानों की सभी जारी अनुसन्धान परियोजनाओं की समीक्षा तथा

मूल्यांकन करता है तथा उद्देश्यों को समय से पूरा करने तथा सम्पूर्णता से प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाता है। सुधार तथा विकसित प्रौद्योगिकियों को पणधारियों को हस्तान्तरित करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं/विषय वस्तु विशेषज्ञों/विशेषज्ञों/एजेन्सी द्वारा परिषद् संस्थानों की कुछ अनुसन्धान परियोजनाओं का स्वतंत्र मूल्याकन भी किया गया। परियोजना पूर्ण प्रतिवेदन (पीसीआरएस) की जाँच की गई तथा भा.वा.अ.शि.प. के फारमेट गाइड के अनुसार स्वीकार कर ली गई है। 77 भा.वा.अ.शि.प. निधीयित परियोजनाओं की परियोजना पूर्ण प्रतिवेदन (पीसीआर) प्राप्त कर जाँच ली गई है।

निदेशकों द्वारा एकल परियोजनाओं की त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन को अनुमोदित कार्य योजना के साथ अनुरूपता के लिए जाँचा गया तथा उद्देश्यों को समय से पूरा करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाए गए हैं।

2010–11 के दौरान, 86 बाहय सहायता प्राप्त सहित 436 जारी अनुसन्धान परियोजनाओं की कार्यक्रम के अनुसार समीक्षा तथा मूल्यांकन किया गया।

2010–11 के दौरान संस्थान–वार पुनरीक्षित जारी अनुसन्धान परियोजनाएँ

क्रम संख्या	संस्थान के नाम	समीक्षा की तिथि	समीक्षित जारी परियोजनाओं की संख्या		
			भा.वा.अ.शि.प. निधियीत	बाहय सहायता प्राप्त	कुल
1.	शुष्क वन अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर	25 और 26 अगस्त 2010	24	10	34
2.	वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून तथा सीएसएफ तथा ईआर, इलाहाबाद	13 स 17 सितम्बर 2010	104	23	127
3.	हिमालयन वन अनुसन्धान संस्थान, शिमला	01 स 3 जून 2010	22	6	28
4.	वन आनुवंशिकी एव वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	15 स 18 जून 2010	62	11	73
5.	वन उत्पादकता संस्थान, रांची	15 स 17 जुलाइ 2010	23	2	25
6.	काष्ठ विज्ञान एव प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर तथा एफआरसी, हैदराबाद	29 और 30 जून 2010	48	13	61
7.	वषा वन अनुसन्धान संस्थान, जोरहाट	19 स 21 जुलाइ 2010	41	5	46
8.	उष्णकटिबंधीय वन अनुसन्धान संस्थान, जबलपुर तथा वा.आ.मा.सं.वि.के., छिंदवाडा	09 स 13 अगस्त 2010	26	16	42
		कुल	**350**	**86**	**436**

प्रत्येक संस्थान से यादृच्छिक रूप से चयनित अनुसन्धान परियोजनाओं का स्वतन्त्र बाह्य मूल्यांकन (आईईई) भा.वा.अ.शि.प. तंत्र से बाहर के स्वतन्त्र बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं/विषय वस्तु विशेषज्ञों/विशेषज्ञों/एजेंसी द्वारा किया गया। छब्बीस अनुसन्धान परियोजनाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त कर, समीक्षा पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई है। अन्य परियोजनाओं का मूल्यांकन प्रक्रिया में है।

परियोजना सूत्रीकरण प्रभाग पहचाने गए प्रमुखता वाले क्षेत्रों में अनुसन्धान परियोजनाओं के सूत्रीकरण तथा विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियों द्वारा उनके निधियन के लिए भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों/केन्द्रों तथा क्षमतावान दाता एजेंसियों के बीच सहायक के रूप में काम करता है। यह भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों/केन्द्रों तथा स्थिति प्रतिवेदन के द्वारा अनुसन्धान परियोजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वयन करता है।

परियोजना निधियन के लिए कई राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियों के साथ सहयोगी परियोजनाएं की गई। 2010–11 में जारी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) की कुल संख्या अनुमोदित ¡ 1477.06/– लाख के साथ 79 है। "दस राज्यों

यथा–उत्तराखण्ड, पश्चिम बगाल, मध्य पदश, छत्तीसगढ, झारखण्ड, गुजरात, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा" में गरीबी कम करने के लिए समुदाय आधारित धारणीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन पर एक परियोजना प्रस्ताव संयुक्त रूप से भा.वा.अ.शि.प. तथा तपोभूमि ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा "राजस्थान के सिरोही जिले की जनजातीय बेल्ट में आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए मात्रीकरण, अकाष्ठ वन उत्पादों का उपयोगिता वर्धन तथा उन्नत कृषि उत्पादकता" आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की गई है।

अन्तराष्ट्रीय निधियन एजसिया जस आईसीएआर के द्वारा विश्व बैंक इंटरनैशनल फाऊडेशन फार साईस, स्वीडन तथा सीएसआईआरओ द्वारा भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों की ¡ 149.09/– लाख कीमत की ग्यारह बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को इस वर्ष पूरा किया गया। स्वीकृत ¡ 84.31/– लाख के साथ छः अन्तर्राष्ट्रीय निधिया प्राप्त परियोजनाएँ कार्यान्वयन अधीन है। कुछ महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाएं जैसे "न्यू बायो–कंट्रोल आपरच्यूनिटीज फार प्रीक्ली एकेशिया– एक्सप्लोरेशन इन इंडिया" एलन फलैचर अनुसन्धान स्टेशन, आस्ट्रेलिया द्वारा निधियीत, "ए वैल्यु चेन आन इंड्रीस्टीयल एग्रोफॉरेस्ट्री इन तमिलनाडू" आईसीएआर द्वारा विश्व बैंक; "इम्प्रूविंग द एसेसीबिल्टी एण्ड एफोडेबिल्टी आफ इम्प्रूफड सीड फार्म एण्ड ब्रीडिंग प्रोग्रामस टू बैनीफिट लार्ज नंबर आफ समालहोल्डर ट्री फार्म एण्ड रूरल कम्यूनीटिज इन तमिलनाडू एण्ड पांडीचेरी" सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलिया द्वारा निधियीत आफरी, वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान तथा भा.वा.अ.शि.प. के अन्य संस्थानों में कार्यान्वयन अधीन है।

कुछ नामी संस्थाओं के साथ भा.वा.अ.शि.प. के संस्थानों द्वारा समन्वित परियोजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कई एमओयूएस तथा अनुबन्धों को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। जैसे वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर के साथ टीएनपीएल द्वारा प्रारम्भ की गई परियोजना "प्रोडक्शन एण्ड टैस्टिंग आफ कंट्रोल पालीनेटिड *यूकेलिप्टस* हाइब्रीडस विद इम्प्रूवड बायोमास एण्ड प्लप पाइलड टू स्पोर्ट इंड्रस्ट्रीयल फारेस्ट्री इन तमिलनाडू" तथा आईटीसीआर एण्ड डी सेन्टर हैदराबाद की परियोजना" डवलेपमेट आफ एनइंटर स्पीसिफिक हाइब्रीड *कोरीमबीय* हाइब्रीड *टोरीलीयाना* एक्स *कोरीमबीया सिटरीयोडोरा*" तथा काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर के साथ आईआईएनआरजी द्वारा प्रारम्भ की गई परियोजना "टरमाइट एण्ड बोरर रजिस्टेस आफ शैलक–बेस्ड वार्निशस"।

बिहार परियोजना–आजीविका मामलों को सुलझाने के लिए समुदाय आधारित समन्वित वन प्रबन्धन एवं संरक्षण योजना (एसएएसवीपीईएसवाई) बिहार राज्य की समुदाय आधारित समन्वित वन प्रबन्धन एवं संरक्षण योजना जो कि योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा आयोजित है 2006 के दौरान प्रारम्भ हुई तथा भा.वा.अ.शि.प. द्वारा कायान्वित की गइ। वास्तविक भातिक क्रियाकलाप बिहार के वैशाली जिले में जनवरी 2007 में भूमिहीन मजदूरों, छोटे, मध्यम तथा बड़ें किसानों को पौधशाला उत्पादन पौधो को उखाड़ने, अंकुरण को दूसरे स्थान पर भेजने तथा खेतों में रोपित करने में शामिल करने सहित किसान समुदाय के प्रत्येक संभाग पर ध्यान के साथ प्रारम्भ हुई। परियोजना दो भागों में पूरी होगी। पहले भाग में कार्य वैशाली जिले में प्रारम्भ किया गया है तथा दूसरे भाग में उत्तरी बिहार के शेष जिलों में कार्य आरम्भ किया जायेगा।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य जैसे पापुलर आधारित कृषि वानिकी द्वारा बिहार के वैशाली जिले का सामाजिक–आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी तथा सेवाए, गुणवत्ता रोपण स्टॉक सामग्री, प्रशिक्षण तथा विस्तार उन्नत पौधशालाओं/किसान पौधशालाओं की स्थापना, कृषि वानिकी प्रदर्शन परीक्षण तथा क्षेत्र में तकनीकी प्रदर्शन है।

पापुलर किसान पौधशाला ग्राम लोमा, जनदाहा, बिहार

पेटेपुर वैशाली में किसान पौधशाला में पापुलर को उखाड़ते हुए

जनवरी 2007 से कुल 74.0 लाख के ईटीपीएस/अंकुरों को पौधशाला में उगाने तथा रोपण भण्डार की तैयारी के लिए वितरित किया गया है तथा किसानों ने अपने खेतों में विचारणीय काष्ठ लाटों को पैदा किया तथा मुख्य काष्ठ उपज धीरे–धीरे 2013–14 से प्राप्त होनी प्रारम्भ होगी। लगभग 100 परिवार/

एकल जो कि परियोजना में पिछले चार सालों से विस्तार कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य कर रहे है, के अतिरिक्त प्रक्रिया अभिविन्यस्त क्रियाकलापों मुख्यतः किसान पौधशाला तथा रोपण आपरेशनों ने किसानों, भूमिहीन मजदूरों, वाटर पम्प मालिकों, ट्रैक्टर मालिकों, उवर्रक तथा हार्डवेयर दुकानों, ईंधन स्टेशनों के रूप में विभिन्न पणधारियों के बीच बहुत से आर्थिक क्रियाकलापों को पैदा किया है।

परियोजना क्रियाकलाप के अधीन उत्पादित मैनडेज की संख्या को दर्शाती हुई सारणी

क्रम संख्या	कार्य की प्रकृति	संचालन करने वाली एजेंसी	अवधि	मैनडेज निर्माण (लाखों में)
1.	तकनीकी तथा अर्धकुशल कर्मचारिया की भती	भा.वा.अ.शि.प.	2007 स 2011	1.71
2.	उन्मूलन एव परिवहन	भा.वा.अ.शि.प.	2007 स 2011	0.90
3.	पौधशाला रोपण सामग्री क लिए पावधान	भा.वा.अ.शि.प.	2007 स 2011	0.16
4.	प्रदर्शन भूखण्ड	भा.वा.अ.शि.प.	2007 स 2011	0.08
5.	किसान पौधशाला	किसान	2007 स 2011	1.08
6.	रोपण आपरेशनस	किसान	2007 स 2011	2.96
7.	रोपणा की देखभाल	किसान	2007 स 2011	1.32
			कुल	**8.21**

पापुलर के अतिरिक्त सागौन, महोगनी, गम्हार, कदम्ब, सेमल, जामुन, अर्जुन, कटहल की प्रजातियों को उगाया गया। पापुलर, सागौन, गमहार, सेमल, कदम्ब, जामुन बाँस तथा अन्य को मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर, सारन तथा पटना में उगाया गया। इसी बीच पापुलर के 24 लाख से अधिक गुणवत्ता पादपों तथा 12 गर पापुलर पजातिया का वशाली तथा निकटवती क्षत्राके सभी 16 ब्लॉकों में वितरित किया गया। प्रजातियाँ जो किसान पौधशालाओं में उत्पन्न की गई को वैशाली तथा निकटवर्ती जिलों के साथ वाले ग्रामों में निःशुल्क वितरित किया गया। वीएएम टीकाकरण पर प्रशिक्षण वन अनुसन्धान संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया।

आदर्श पौधशाला, जादुआ में सागौन को उगाते हुए

जादुआ तथा गोरौल में प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किये गये। ये केन्द्र किसानों को स्पाट टैकनिकल नालिज उपलब्ध करवाते हैं।जादुआ प्रशिक्षण केन्द्र में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण तथा वैशाली रहीमपुर, वैशाली तथा रहशा पचियारी, भगवानपुर के विभिन्न ग्रामों में स्थल परीक्षण आयोजित किये गये तथा इस कार्यक्रम के अधीन लगभग 6281 किसानों को पापुलर की रोपण तथा पौधशाला उत्पादन तकनीकों पर प्रशिक्षित किया गया।

गोरौल में भा.वा.अ.शि.प. प्रदर्शन प्लाट

हल्द्वानी के लिए किसान शैक्षणिक दौरा

विस्तार सामग्री/क्षेत्र मैनुअल, कृषि वानिकी पर प्रचार पुस्तिकाएँ, पापुलर पर बाँस, किसान पौधशाला, कृषि वानिकी की प्रमुख प्रजाति पर बुकलेट तथा "मूक क्रान्ति" पर डाक्यूमेन्ट्री फिल्म लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए हिन्दी में विकसित की गई। वन आधारित उद्योगो तथा वशाली क किसाना क बीच बाजारीकरण सम्बध विकसित करने के लिए बिहार राज्य एस.ए.एस.वी.पी.ई.एस.वाई. के अधीन "बायर सेलर मीट" आयोजित की गई।

कृषक समुदायों की स्वीकार्यता कि वृक्ष फसलों के साथ कृषि फसलों की स्वीकृति दी जाए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण खोज है। किसानों के दिमाग में कृषि वानिकी को अपनाने का संदेश वर्ष दर वर्ष गहरा होता जा रहा है तथा जंगल की आग की तरह फैल रहा है। किसान समान भूमि के टुकड़े में 3–4 फोल्ड बढ़ी हुई राजस्व वापसी पाने के लिए इस परिकलित जोखिम पर बात करने में रूचि रखते है। पापुलर तेजी से क्षेत्र की परम्परागत औद्योगिक काष्ठ कच्ची सामग्री सेमल का स्थान ले रहा है "प्रोत्साहित करने" की प्रारम्भिक रणनीति को पापुलर ने धीरे–धीरे "प्रभाव"(माँग) वाली स्थिति तक पहुँचा दिया है। वृक्ष कृषि की ओर किसानों की एप्रोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है तथा वे सिचाँई तथा गुडाई जैसे देखेरेख वाले क्रियाकलापों में ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे है। सामुदायिक सहभागिता तथा भा.वा.अ.शि.प. द्वारा अनुसन्धान तथा तकनीकी निवेश उपलब्ध करकर परियोजना क्रियाकलापों ने पहले ही बहुत कम अवधि में क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला दिया है तथा इसे काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल के उत्पादन पर आधारित भविष्य के औद्योगिक विकास के रूप में देखा गया है।

परिषद की विषय आधारित अनुसन्धान उपलब्धियाँ आगे उप–अध्यायों में हैं।